

इन्फार्मिड प्रतिलिपि

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी परगना भिण्ड जिला भिण्ड (म.प्र.)

प्र.क्र. 32/2010-11/172

प्रभुदास शिखा प्रसार समिति लखार रोड भिण्ड
अध्यक्ष जगतनारायण शर्मा सचिव
सुमित नारायण शर्मा निवासी लखार
रोड भिण्ड

आवेदक

बनाम

मध्य प्रदेश शासन

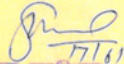
(आदेश दिनांक 28-11- को पारित)

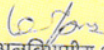
आवेदक प्रभुदास शिखा प्रसार समिति लखार रोड भिण्ड अध्यक्ष जगतनारायण शर्मा सचिव सुमित नारायण शर्मा निवासी लखार रोड भिण्ड

ग्राम अकोडा प.ह.नं. 4312 की भूमि सर्वेक 31-6-31-00 रकबा 0-422 है में क्षेत्रफल 36-5-24 वर्गफीट के व्यववर्तन की अनुमति दिये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, अधीनस्थ भू-अभिलेख डायवर्सन तथा राजस्व निरीक्षक डायवर्सन से स्थल जाँच प्रतिवेदन लिया गया जिसके अनुसार भूमि स्वामित्व है। प्रस्तावीन भूमि में शासकीय भूमि शामिल नहीं है, तथा व्यववर्तन किए जाने से सार्वजनिक हित में कोई बाधा नहीं है।

अतः भू-राजस्व संहिता की धारा 172 के अंतर्गत न अकोडा के सर्वेक 31-6-31-00 रकबा 0-422 है में क्षेत्रफल 36-5-24 वर्गफीट के व्यववर्तन की स्वीकृति आवेदक को निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है :-

1. निर्माण कार्यों नगर पालिका एवं संबंधित निकाय की विधिवत स्वीकृत तथा लेआउट की मंजूरी परवात किया जायें।
2. शासकीय भूमि पर अतिक्रमण न किया जायें।
3. ऐसा कोई निर्माण कार्य न किया जायें, जिससे सार्वजनिक हित में कोई बाधा उत्पन्न न हो।
4. ऐसा कोई कार्य न किया जायें जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो।
5. व्यववर्तित क्षेत्र 36-5-24 वर्गफीट पर पुनः निर्माण 1-4-2-000 रु. वर्ष 2010-11 से कायम किया जाता है, जो प्रतिवर्ष देय होगा।
6. प्रस्तावित 36-5-24-000 रु. कायम की जाती है जो सिफ एक बार देय होगी।
7. व्यववर्तन की स्वीकृति व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था के प्रयोजन हेतु दी गई है प्रयोजन परिवर्तित करने पर पुनः निर्माण पुनरीक्षित किया जावेगा।
8. आवेदक निर्माणाधीन मकान के सम्मुख तीन मीटर स्थान छोड़कर निर्माण कार्य करेगा।
9. उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन की दशा में यह अनुज्ञापति निरस्त कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित की जावेगी।
10. प्रकरण बी-1 इन्दाज हेतु व्यववर्तन शाखा भिण्ड की ओर भेजा जायें, इन्दाज उपरान्त प्रकरण रिकार्ड दाखिल हो।


H.D. Kariyil


अनुविभागीय अधिकारी
भिण्ड (म.प्र.)